राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

तेल–तिलहन अनुज्ञापन प्रणाली की अवधि 30 सितम्बर 2018 तक बढाई

जयपुर, 29 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा तेल–तिलहनों के ऊपर अनुज्ञापन प्रणाली की अवधि 30 सितम्बर 2018 तक बढा दी गई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के अंतर्गत तेल–तिलहनों के ऊपर अनुज्ञापन प्रणाली वर्ष 2015 में लागू की गई थी।

केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2017 को जारी अधिसूचना के कम में राज्य सरकार द्वारा तेल–तिलहन की अनुज्ञापन संबंधी प्रावधानों की पालना हेतु आज दिनांक 29.09.2017 को अधिसूचना जारी कर अनुज्ञापन व्यवस्था 30.09.2018 तक निरन्तर लागू करने के आदेश जारी किये गये हैं।

-